न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 8/2017

बउनवान

1. बृजमोहन आयु 68 साल
2. बाबूलाल आयु 62 साल पुत्रान मांगीलाल जाति मीणा निवासी मऊ तह. मांगरोल

(अपीलांट्स)

बनाम

1. सीताराम आयु 55 साल
2. बालमुकन्द आयु 45 साल पुत्रान धूलीलाल जाति मीणा निवासी मऊ तह. मांगरोल

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील विरूद्ध निर्णय मिसल नं. 1/16 बउनवान बृजमोहन वगैरह बनाम सीताराम वगैरह निर्णय दिनांक 17.10.2016 न्यायालय तहसीलदार मांगरोल अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– 1. श्री मदनलाल गालव अभिभाषक **(अपीलांट्स)**

2. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक 04.04.2022

अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार मांगरोल के आदेश दिनांक 17.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स के खाते की आराजी वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में खसरा नंबर 1026 रकबा 0.70 है. पर अपीलांट्स काबिज काश्त है। उक्त आराजी पर जाने के लिए अपीलांट्स अपने पूर्वजों के समय से करीब 50–60 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर व निर्बाध रूप से खसरा नंबर 1020 की सरकारी भूमि में होकर आते जाते हैं। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सरकारी भूमि खसरा नंबर 1020 पर अतिक्रमण कर अवैधानिक रूप से हांक कर फसल बोली व मक्का [illegible] लिया है जिसे हटाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 [illegible] पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। जबकि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत रिकार्ड, पटवारी रिपोर्ट तथा साक्ष्य से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] मानकर कि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन नहीं है। फिर भी जिस रास्ते से काश्तकार आता जाता है उसे ही रास्ते का अधिकार होने की मान्यता है। प्रार्थीगण/अपीलांट्स की कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 1020 के अलावा अन्य कहीं भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 30.09.2016 को नियत थी। उस दिनांक को पत्रावली वास्ते जांच कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

मौका व रिकॉर्ड की स्थिति बाबत रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा पेश करने हेतु दिनांक 28.10.2016 नियत की गई थी। परन्तु नियत तिथि के पूर्व ही प्रार्थीगण/अपीलांट्स व उनके अधिवक्ता को सूचना दिये बिना पत्रावली दिनांक 17.10.2016 को निकाल ली एवं तलबी अप्रार्थी हेतु 2 दिन की पेशी दिनांक 19.10.2016 नियत कर दी। अप्रार्थी की तलबी नहीं की गई न ही उन्हे जवाबदेही का अवसर दिया गया तथा प्रार्थी की साक्ष्य बंद करने का अंकन दिनांक 19.10.2016 की आदेशिका में लिखा गया। उसके पश्चात पत्रावली किसके लिये नियत की उस संबंध में एवं तारीख पेशी के बाबत अंकन नही किया गया। एवं उसके पूर्व दिनांक 17.10.2016 को ही आदेश लिखकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जााकर रेस्पोडेंट्स द्वारा किये गये खसरा नंबर 1020 के अतिक्रमण को हटाकर अपीलांट्स का रास्ता खुलासा कराया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

सर्वप्रथम हमने मियाद के बिन्दु पर वकील अपीलांट्स को सुना। न्यायहित में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट्स अपने पूर्वजों के समय से अपने खाते की आराजी खसरा नंबर 1026 पर आने जाने के लिये खसरा नं. 1020 सिवायचक रास्ता का उपयोग करते आ रहे हैं। रेस्पोडेंट्स ने खसरा नंबर 1020 से होकर जाने वाले रास्ते को हांक कर व निर्माण कर बन्द कर दिया। अतः रास्ता खुलासा करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2016 पूर्ण रूप से विधिनुरूप है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम मऊ की आराजी खसरा नंबर 1026 अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 खसरा नंबर 1026 पर रिकॉर्ड अनुसार कोई रास्ता दर्ज नहीं है। इसके समीप खसरा नंबर 1020 [illegible] स्थित है जिस पर सीताराम पुत्र धूलीलाल जाति मीना निवासी मऊ ने 0.24 है. [illegible], 0.22 है. फसल सोयाबीन, 0.06 है. भूमि पर फसल उड़द बोकर कब्जा कर रखा है। तथा शेष 0.08 है. भूमि पर शराब ठेका मौके पर स्थित है जिसे बालमुकन्द पुत्र धूलीलाल जाति मीना निवासी मऊ ने किराए पर शराब ठेकेदार चन्द्रप्रकाश सुमन पुत्र नाथूलाल सुमन निवासी बमोरीकलां को दे रखा है। उक्त भूमि में से अपीलांट्स रास्ता चाह रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त भूमि से अपीलांट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

नया रास्ता चाहना मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि अपीलांट्स की खातेदारी में जाने के रास्ते के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल का निर्णय दिनांक 17.10.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, मांगरोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि पर आने जाने हेतु कदीमी रास्ते के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। साथ ही खसरा नंबर 1020 वाके ग्राम मऊ पर अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही कर अतिक्रमण हटवायें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:37 IST
Reason: SelfAttested